किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– जमनादेवी बनाम चैनाराम वगैरा मु.नं. 171/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
13.05.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 31 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीनी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढीढस तहसील समदडी के खसरा संख्या 546,552 व 742/548 रकबा क्रमशः 1.1991,1.2302 व 1.7806 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 1500/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे।आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.06.12 11:13:50 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्र: वाचक/2024/727 दिनांक : 16-05-2024

प्रार्थीनी **बनाम** **विप्रार्थीगण**
जमनादेवी पत्नी वीरमाराम **चैनाराम पुत्र खीमाराम वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 171/2022 दिनांक :– 13.05.24

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम ढीढस तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 546,552 व 742/548 रकबा क्रमशः 1.1991,1.2302 व 1.7806 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1500/–प्रार्थीनी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

क्रमांकः वाचक /2024/728-731 दिनांक : 16-05-2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी ढीढस को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती जमनादेवी पत्नी वीरमाराम जाति घांची निवासी ढीढस तहसील समदडी जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)